



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55610

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 421/2026

नीरज भारद्वाज

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: नरेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, उत्कर्ष कुमार मिश्रा,
विनोद कुमार

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया। सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हैं।
- यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, फर्रुखाबाद द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 1193/2025, मुकदमा अपराध संख्या 192/2024, धारा 103, 238, 3(5), 61(2) बीएनएस और धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी अधिनियम, थाना मौदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद के तहत पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है।
- यह द्वितीय जमानत आवेदन है। अपीलकर्ता की पहली जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और आपराधिक अपील संख्या 11723/2024 में दिनांक 24.03.2025 को पारित आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103, 238 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत एफ.आई.आर.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचनादाता सूरजपाल जाटव द्वारा 11.9.2024 को दोपहर 1:16 बजे दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5.9.2024 को शाम लगभग 6:00 बजे, राकेश भारद्वाज के पुत्र आरोपी गुरु ने सूचनादाता के लगभग 15 वर्षीय पुत्र पिकू को जबरन अगवा कर लिया और शाम लगभग 7:00 बजे जब सूचनादाता आरोपी गुरु की दुकान पर गया, तो दूसरे आरोपी राकेश भारद्वाज ने उसे 15 मिनट बाद पिकू को भेजने के लिए कहा और फिर उसने सूचनादाता को फोन करके बताया कि उसका बेटा घर जा चुका है। हालांकि, पिकू वापस नहीं आया और 6 सितंबर 2024 को सुबह लगभग 10:15 बजे पिकू का शव नाले में मिला। ऐसा प्रतीत हुआ कि आरोपी राकेश भारद्वाज और उसके बेटों ने आपस में आपराधिक साजिश रचकर पिकू को नाले के पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में छिपा दिया। विवेचना के बाद, इस मामले में आरोपी राकेश भारद्वाज उर्फ लाला, नीलकंठ उर्फ गुरु और वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103, 238, 3(5), 61(2) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

5. वर्तमान दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की जा रही है कि 27 अभियोजन गवाहों में से केवल दो को ही अभी तक परीक्षित किया गया है और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना बहुत कम है तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है, उसका नाम सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयान में सामने आया है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और घटनाओं की कड़ी पूरी नहीं है जिससे परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बन सके। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता 25.09.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व भी मौजूद नहीं हैं।

6. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है।

9. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

10. उपरोक्त मामले में आरोपित अपीलकर्ता नीरज भारद्वाज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. चूंकि यह आदेश अपीलकर्ता की जमानत पर रिहाई से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अवर न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

18 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"